

सायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

फाइल नं० 252 / 2022

तारीख रजू :- 18.9.22

दावा बाबत तकासा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

शाल आई0डी0 नम्बर 2022/1,16

उनवान

धारास पुर बनौसिंह जाति जाट निवासी धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

---सायाल

बनाम

पेश पुर सूका जाति जाट निवासी धंधावली तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

---प्रतिवादीगण 14

क्रमांक

फर्द अहकाम

यह दावा वादी की ओर से श्री प्यारेलाल पोहिया एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 26.09.2022 को पेश हो।

(अनूप सिंह)

उप खण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

20/2 पत्रावली आज पेश हुई। दिनांक 26-9-22 को
अहकाम की नोटिस पत्र पेश हुई। वादी वकील
उपस्थित। प्रतिवादी नं० 16, 3, 2 वंश उपस्थित।
प्रतिवादी नं० 9 की ओर से श्री S.L. वैद्यवासी एड०
डूला उपस्थित। प्रतिवादी नं० 31, 32 की ओर से
श्री सुदाम मोहन शर्मा एड० द्वारा उपस्थिति की है।
पत्रावली की प्रतिवादी नं० 4, 7, 8, 11, 10, 13, 26,
27, 29, 30, 34 की लम्बी जाल। प्रतिवादी
प्रतिवादीगण की लम्बी जाल पुनः वादी
वकील हलवाना पेश करे। पत्रावली
बाबत अज्ञान, जाललवाना, हलवाना दि
19-12-22 की पेश की।

दिनांक 22/9/22
अहकाम नं०-16
खुशिया
अहकाम नं० 3
52
9 दिवसीय
अहकाम नं० 31, 32
अहकाम नं० 16
अहकाम नं० 26
अहकाम नं० 3
अहकाम नं० 31
अहकाम नं० 32
अहकाम नं० 33

21/11 पत्रावली आज मियाल हलमी के जल पत्र पर
आज पेश हुई। आजल व आजल वकील उपस्थित।
आजल वकील व आजल ने अज्ञान कराया कि आजल
व आजल वकील अज्ञान आगे चलाना नहीं चाहता
है। आजल ने अज्ञान कराया आजल ही
अहकाम नं० 252/22 दावा मीमांसा वनाम
मिथ्या नोटिस के आदिन कि सुनाता है पत्रावली
की जाल अज्ञान कर जाल अज्ञान

21/11
दिनांक
Not Recd
पत्रावली
दिनांक
16/11

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)